63

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

।ारीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–दतिया

1. हरीराम पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद प्रजापति
2. रामसेवक पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद
3. नंदराम पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद
4. भगवान दास पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद
   निवासीगण – बक्शी हनुमान के पास दतिया
5. मुन्नी देवी पत्नी साहिब सिंह
   निवासी – हनुमान गढी के पास दतिया (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1. सीताराम पुत्र श्री पजन प्रजापति
2. लालाराम पुत्र श्री पजन प्रजापति
3. रामबाबू पुत्र श्री पजन प्रजापति
4. प्रकाश पुत्र श्री पजन प्रजापति
   निवासी – खलका पुरा हाल सिगलपुरा दतिया (म.प्र.)
5. बल्ली पुत्र श्री घुस्से पाल
   निवासी – ग्राम पिछारी हाल निवास सिगलपुरा नगर दतिया (म.प्र.)

.....अनावेदकगण

।ायालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 135/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 26.07.2016 के विरूद्ध ।य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

।नीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर ।।यदान हेतु प्रस्तुत है :–

।ले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, आवेदकगण द्वारा अपने स्वत्व स्वामित्व की भूमि जोकि मौजा दतिया गिर्द में स्थित है कि उक्त आराजी क्रमांक 22/9/3/1/ग/1 रकवा 0.688 एवं 22/9/3/1/ग/3 रकवा 0.081 है0 का सीमांकन कराये जाने बावत् आवेदन पत्र हसीलदार दतिया के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 41/अ–121/2010–11 प्रस्तुत किया गया था जिसमें राजस्व निरीक्षक को सीमांकन का पत्र जारी किया गया एवं राजस्व राजस्व निरीक्षक वृत दतिया द्वारा उपरोक्त भूमि का विधिवत् सीमांकन आदेश दिनांक 30.05.2011 पारित किया।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक– निग0 2607–एक/16 जिला – दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04–8–16	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के0के0 द्विवेदी उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता एवं स्थगन पर सुना गया । यह निगरानी अनुविभागय अधिकारी, अनुभाग दतिया द्वारा प्रकरण कमांक 135/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 26–7–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का तथा आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उनके समक्ष अनावेदक सीताराम आदि द्वारा तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 250 के तहत पारित आदेश के विरूद्ध अपील की गई थी इस प्रकार उनके समक्ष संहिता की धारा 250 के तहत पारित आदेश की वैधता के जांच करने का बिंदु विचारणीय था साथ ही यह बिंदु भी विचारणीय था कि तहसीलदार के आदेश के बाद भी अनावेदक द्वारा अतिकमण नहीं हटाये जाने के कारण क्या उसके विरूद्ध सिविल जेल भेजने की कार्यवाही की जाये अथवा नहीं । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है उनके द्वारा उपरोक्त बिंदुओं से हटकर सीमांकन की वैधता पर विचार करते हुए तहसीलदार के आदेश को अवैध ठहराया गया है जोकि क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही है, कारण सीमांकन आदेश के विरूद्ध संहिता की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व मंडल में निगरानी प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है और सीमांकन कार्यवाही की वैधता पर विचार करने का	

R-2607-I/16 (दतिया)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	क्षेत्राधिकार अनुविभागीय अधिकारी को नहीं होकर राजस्व मंडल को प्राप्त है । इस प्रकार स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णत अवैधानिक है । यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि प्रकरण में 2 बार सीमांकन हुआ है और तदुपरांत तहसीलदार ने संहिता की धारा 250 के तहत आदेश पारित कर अनावेदक को प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश दिए हैं । दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट होता है कि अनावेदकों द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में स्वत्व घोषणा का वाद कमांक 47ए/12 पेश किया गया जिसमें प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 द्वारा दिनांक 26–6–14 को आदेश पारित करते हुए अनावेदकों का स्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन निरस्त किया गया है तथा यह माना है कि वादीगण (अनावेदक) के विवादित भवन में प्रतिवादी कमांक 1 (आवेदक हरीराम) की एक तिहाई कृषि भूमि दबी होना प्रमाणित है । इसके अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश द्वारा अपने निर्णय में यह भी उल्लेख किया है कि अनावेदक द्वारा सीमांकन के अवैध होने के संबंध में जो अभिवचन किए हैं उसके संबंध में अनावेदकगण द्वारा दीवानी न्यायालय में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है तथा आवेदक हरीराम के प्रतिपरीक्षण में भी अनावेदकों की ओर से ऐसा कोई तथ्य नहीं लाया गया है जिससे उक्त सीमांकन अवैध दर्शित होता हो । वादीगण उक्त सीमांकन को अवैध होने को साक्ष्य से प्रमाणित करने में असफल रहे हैं । इस आदेश की पुष्टि प्रथम अपर जिला न्यायाधीश दतिया द्वारा भी दिनांक 13–7–2016 को की गई है । प्रश्नाधीन सीमांकन को विधिवत माना है और व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है इस कारण भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश के विरूद्ध कार्यवाही की गई है । यहां यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि संहिता की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार अनुविभागीय	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 2607–एक/16 जिला – दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अधिकारी को प्रकरण को प्रत्यावर्तित करने का किसी प्रकार का अधिकार नहीं है । दर्शित परिस्थिति में इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता । परिणामतः यह निगरानी इसी स्तर पर स्वीकार की जाती है तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है । सदस्य	